रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 866] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2016/अग्रहायण 28, 1938
No. 866] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2016/AGRAHAYANA 28, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1154(अ). — कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिरौंजी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2016 जिन्हें तारीख 13 मई, 2016 की अधिसूचना सा.का.नि. 506(अ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उनसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां 13 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

उक्त नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभः (i)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिरौंजी श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम एनाकारडियासी फैमिली के बुकानानिया लेंजम स्प्रेंग नामक पादप के शुष्क फलों से प्राप्त चिरौंजी गिरी पर लागू होंगे।

(3) ये सरकार राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:**

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन उपबंधित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार चिरौंजी का श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को चिरौंजी का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं;

(ड.) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 5 में निर्दिष्ट एगमार्क अधिचिह्न अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) में परिभाषित हैं, के अर्थ वह होंगे जो उस अधिनियम और उक्त नियमों में हैं ।

3. श्रेणी अभिधान: चिरौंजी की क्वालिटी को दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 की सारणी के स्तम्भ 1 में ऊपर वर्णित के अनुसार होंगे ।

4. क्वालिटी: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए चिरौंजी की क्वालिटी अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी ।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न: श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र की संख्या, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में वर्णित डिजाइन के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क अधिचिह्न" होगा ।

6. पैकिंग करने की पद्धति: (1) चिरौंजी की पैकिंग नए, साफ और शुष्क जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, कागज़ के थैलों, जिनकी आंतरिक लाइनिंग खाद्य श्रेणी पदार्थ की हो या पॉलीवोवन थैलों, पॉलीथीन पाउचों या उच्च सघनता पोलीइथाइलीन (एचडीपीई) थैलों या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 11 के अनुसार उनकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य खाद्य श्रेणी पैकिंग सामग्री में पैक की जाएगी ।

(2) पैकिंग सामग्री कीटों या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और अन्य विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या उत्पाद के सुवास से मुक्त होगी ।

(3) चिरौंजी की पैकिंग विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 के उपबंधों अनुसार पैक आकारों में या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

(4) समान लॉट या बैच के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ मास्टर आधान में पैक किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार की और समान श्रेणी अभिधान की चिरौंजी होगी ।

(6) प्रत्येक पैकेज उचित रुप से और सुरक्षित रुप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा ताकि किसी तरह के संदूषण को रोका जा सके ।

7. चिह्नांकन की पद्धति: (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रुप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टत: पहचाने जाने योग्य रुप में चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म या व्यापार नाम (वैकल्पिक);

(घ) लॉट संख्या;

(ड़) पैकिंग की तारीख;

(च) पैकिंग स्थान का पता

(छ) शुद्ध भार;

(ज) पैकर का नाम और पता

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित)

(ञ) तारीख.....मास.....वर्ष.....से पूर्व उपयोग के लिए सर्वोत्तम;

(ट) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34), तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसार उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी होगी जो चिरौंजी को संदूषित न कर सके।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 11 के अनुसार उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा कि वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।

8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें :** (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत पैकर चिरौंजी की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हक रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वंय की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या सहयोजन प्रयोगशाला या प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क करेगा।

(3) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन और अच्छे प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा। इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर के पास पक्के फर्श वाली स्वास्थ्यप्रद भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृंतक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे।

(5) प्राधिकृत पैकर और पूर्वोक्त अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी के द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अनुसार इस निमित्त समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची-1

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)

वस्तु का नाम .....

श्रेणी .....

अनुसूची-2

(नियम 3 और नियम 4 देखें)

(चिरौंजी का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी)

1. चिरौंजी एनाकारडियासी फैमिली के बुकानानिया लेंजन स्प्रेंग पादप के शुष्क फल से प्राप्त की गई गिरी है जोकि मानव खपत के लिए है ।

2. **न्यूनतम अपेक्षाएं :**

(i) चिरौंजी की गिरी:-

(क) पकी हुई और साफ होगी;

(ख) साबुत होगी;

(ग) विशिष्ट स्वाद और सुगंध युक्त होगी;

(घ) जीवित और मृत कीटों तथा कीटों के टुकड़ों से मुक्त होगी;

(ड) फफूंद और भुकड़ी से मुक्त होगी;

(च) अतिरिक्त रंजक पदार्थ से मुक्त होगी;

(छ) कृंतक के बालों और फफूंद्वार से मुक्त होगी;

(ज) दुर्गंध और सीलन की बदबू से रहित होगी;

(झ) किसी अन्य खाद्य और अखाद्य बीजों से मुक्त होगी;

(ii) चिरौंजी की गिरी दुर्गंध रहित होगी या आर्द्र स्थिति के कारण खराब नहीं होगी ।

(iii) चिरौंजी के देशी व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त और अवशेष) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अनुसार धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीट नाशक और नाशी जीवनाशक अवशेषों, जीवाणु संबंधी अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों और अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के मामले में प्रतिबंधों का अनुपालन होगा ।

(iv) चिरौंजी भारी धातुओं, जीवनाशक दवाओं की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा अधिकथित खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा ।

3. चिरौंजी के श्रेणी अभिधान तथा क्वालिटी के लिए मापदंड

सारणी

श्रेणी अभिधान	**कार्बनिक विजातीय पदार्थ, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (अधिकतम)	**नमी, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (अधिकतम)	**क्षतिग्रस्त और बदरंग गिरी, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (अधिकतम)	**खंडित गिरियां, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (अधिकतम)	**प्रोटीन की मात्रा, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (न्यूनतम)	**कुल ध्रुलनशील ठोस पदार्थ मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (न्यूनतम)	**तेल की मात्रा, मात्रा के अनुसार प्रतिशत** (न्यूनतम)	**ओलेइक अम्ल के रूप में प्राप्त वसा की अम्लता** (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
विशेष	शून्य	5.5	1.0	1.0	24.0	10.0	54.0	10.0
मानक	0.1	6.0	1.5	2.0	22.0	8.5	52.0	12.0
साधारण	0.2	6.5	2.0	3.0	19.0	7.5	48.0	14.0

4. अन्य अपेक्षाएं :

(i) चिरौंजी की स्थिति ऐसी होगी कि वह----

(क) परिवहन और उठाई-धराई की स्थिति को सहन कर सके और

(ख) मंजिल के स्थान पर संतोषप्रद अवस्था में पहुंच सके।

स्पष्टीकरण.-

इस अनुसूची के प्रयोजनों-

1. ''कार्बनिक पदार्थ'' से पौधे के डंठल, छिलकों के टुकड़े तथा अन्य वनस्पति पदार्थ अभिप्रेत हैं;

2. ''खंडित गिरियों'' से चिरौंजी की गिरयों के टुकड़े अभिप्रेत है।

3. ''क्षतिग्रस्त या बदरंग'' से चिरौंजी गिरी का सूर्य झुलसन, घाव, यांत्रिकी क्षति, बदरंगता और कीटों से प्रभावित होना अभिप्रेत है।

[मि. सं.18011/1/2015-एम-II]

के. एस. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-Operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2016

G.S.R. 1154(E).—Whereas the Chironji Grading and Marking Rules, 2016, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.506(E), dated the 13th May, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 13th May, 2016;

And, whereas, no objections or suggestions have been received from the general public in respect of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Chironji Grading and Marking Rules, 2016.

(2) They shall apply to Chironji kernels obtained from the dried fruits of the plant *Buchanania lanzan* Spreng of the family *Anacardiaceae*.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation to grade and mark Chironji in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Chironji with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "grade designation mark" means the Agmark insignia referred to in rule 5;

(f) "Schedule" means Schedules appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and rules.

3. Grade designations. — The grade designations to indicate the quality of Chironji shall be as set out in column (1) of the Table in Schedule II.

4. Quality. - For the purposes of these rules, the quality of Chironji shall be as specified in Schedule II.

5. Grade designation mark. — The grade designation mark shall be "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the Certificate of Authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule I.

6. Method of packing. — (1) Chironji shall be packed in new, clean and dried jute bags, paper bags, cloth bags, with inner lining of food grade material or poly-woven bags, poly pouches, High Density Poly Ethylene (HDPE) bags or any other food grade packing material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packing material shall be free from insect and fungal infestation and shall not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Chironji shall be packed in pack sizes as per the provisions in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Chironji of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to preclude any contamination.

7. Method of marking.— (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely :-

(a) Name of the commodity;

(b) Grade;

(c) Variety or trade name (optional);

(d) Lot number;

(e) Date of packing;

(f) Address of the place of packing;

(g) Net weight;

(h) Name and address of the packer;

(i) Maximum retail price (inclusive of all taxes);

(j) Best before_____month_____year;

(k) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or any other law for the time being in force or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Chironji.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private

trade mark or trade brand on the graded packages which do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation, — (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall follow all instructions specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Chironji.

(3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The authorised packer shall have storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the aforesaid approved chemist shall comply with all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time.

SCHEDULE I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)

Name of the commodity_____

Grade_____

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

(Grade designation and quality of Chironji)

1. Chironji is a kernel obtained from the dried fruit of the plant *Buchanania lanzan* Spreng of the family *Anacardiaceae* for human consumption.

2. **Minimum requirements**:

   (i) Chironji kernel shall be –

   (a) mature and clean ;

   (b) wholesome;

   (c) of characteristic taste and flavour;

   (d) free from living and dead insects, insect fragments;

   (e) free from fungus infestation and moulds;

(f) free from added colouring matter;

(g) free from rodent hair and excreta;

(h) free from rancidity and mustiness;

(i) free from any other edible and non-edible seeds.

(ii) Chironji kernel shall not emit foul odour, or found deformed due to moist condition.

(iii) Chironji shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 for domestic trade.

(iv) Chironji shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or as per the requirements of the importing countries.

3. Criteria for grade designation and quality of Chironji:

TABLE

Grade designation	**Organic foreign matter, percent. by mass (maximum)**	**Moisture, per cent. by mass (maximum)**	**Damaged and discoloured kernels, per cent. by mass (maximum)**	**Broken kernels, per cent. by mass (maximum)**	**Protein content, per cent. by mass (minimum)**	**Total soluble solids, per cent. by mass (minimum)**	**Oil content, per cent. by mass (minimum)**	**Acidity of extracted fat expressed as Oleic acid (maximum)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	Nil	5.5	1.0	1.0	24.0	10.0	54.0	10.0
Standard	0.1	6.0	1.5	2.0	22.0	8.5	52.0	12.0
General	0.2	6.5	2.0	3.0	19.0	7.5	48.0	14.0

4. Other requirements:

(i) The condition of the Chironji shall be such so as to enable it -

(a) to withstand transport and handling; and

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Chironji shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.

Explanations. –

For the purpose of this Schedule,-

1. "Organic matter" means stalks, pieces of shells and other vegetable matters of the plant.

2. "Broken kernels" means pieces of Chironji kernels.

3. "Damaged or discoloured" means Chironji kernels affected by sunburn, scars, mechanical injury, discolouration and insects.

[F. No.18011/1/2015-M.II]

K. S. SRINIVAS, Jt. Secy. (Marketing)

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.12.21 22:45:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.